मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2011 (चैत्र 8, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.34 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. बधाई

मध्यप्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में पुरस्कार मिलने तथा मध्यप्रदेश विधान सभा को सौर ऊर्जा से प्रकाशित करने की स्वीकृति प्राप्त होने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से बधाई दी गई।

2. स्वागत-उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला, सांसद् की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत उल्लेख किया गया।

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 17 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 118 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 136 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(सर्वश्री नारायण प्रजापति एवं श्रीकांत दुबे, सदस्यगण पाला प्रभावित किसानों को दिए गए राहत राशि के धनादेश अनादृत होने के विरोधस्वरूप गर्भगृह में आए तथा आसंदी के निर्देशानुसार अपने आसनों पर वापस गए।)

(चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी से नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के वर्ष 2009-10 के पटलित प्रतिवेदन पर सदन में चर्चा कराने की मांग की गई, जिस पर आसंदी द्वारा विचार करने हेतु आश्वस्त किया गया।)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य ने बालाघाट के स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के पद रिक्त होने,
(2) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र से प्रदूषित पानी छोड़े जाने,
(3) श्री राधेलाल बघेल, सदस्य ने दतिया जिले के सेवड़ा से मदनपुर तक पहुँच मार्ग न होने,
(4) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य ने बड़वाह में मिर्ची मण्डी को स्थानांतरित किए जाने,
(5) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले में कृषकों को विद्युत कनेक्शन न दिये जाने,
(6) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य ने सतना के अमर पाटन की तहसील रामनगर में सिंचाई सुविधाएं न होने,
(7) श्री जुगुल किशोर, सदस्य ने सतना में विषाक्त खाद्यान्न से तीन बच्चों की मौत होने,
(8) डॉ. महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य ने जावद तथा पिपलोद क्षेत्र के कृषकों को परेशान किये जाने,
(9) श्री मनीराम धाकड़, सदस्य ने उच्च शिक्षा विभाग में निलंबित प्राध्यापकों को विशेष अधिकारी पद पर नियुक्ति देने तथा
(10) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य ने राजगढ़ जिले के कचनारिया में सोयाबीन प्लांट से प्रदूषण फैलने
संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने अम्बाह-पोरसा हिंसक घटना की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन, दिनांक 29 मई, 2007 (द्वारा न्यायमूर्ति श्री डी.के. पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड) पटल पर रखा।

6. सम्पत्ति-विवरण का पटल पर रखा जाना

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री द्वारा अपनी तथा परिवार की सम्पत्ति का विवरण पटल पर रखा गया।

7. ध्यान आकर्षण

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि नियम 138 (3) के अनुसार, किसी एक बैठक में 2 से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद एवं इटारसी में नजूल के पट्टों का नवीनीकरण न किये जाने की ओर संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले में पंचायत सचिवों के अधिकार समाप्त किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के पचोर-माचलपुर मार्ग की जर्जर हालत होने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण की सूचना उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं की गई।

(4) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य ने इंदौर शहर में आपराधिक घटनाएं घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य द्वारा अपराध रोकने में गृह विभाग की विफलता की बात कहते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सत्ताईसवां से उनचासवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।.

(2) श्रीमती शशि ठाकुर, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री गौतम टेटवाल, सदस्य की राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम खजुरिया घाटा में नलजल योजना स्वीकृत किये जाने,
(ख) पचौर तहसील में बायपास रोड निर्माण किये जाने,
(ग) सारंगपुर में कृषि महाविद्यालय खोले जाने,
(घ) ग्राम सण्डावता में पुलिस चौकी खोले जाने,
(ङ) ग्राम सण्डावता की कृषि उपज मंडी को उप मंडी घोषित किये जाने तथा
(च) मण्डाई चौक में पुरानी पुलिस चौकी को प्रारंभ किये जाने,

(2) श्री पुरुषोत्तम दांगी, सदस्य की राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम भवानीपुरा के माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम डाबरिया लसूडिया से बाईहेडा तक सड़क बनाये जाने,

(ग) ग्राम गंगाहोनी के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(घ) ग्राम मोझा में पेयजल टंकी निर्माण किये जाने,

(ङ) ग्राम लखनवास से ग्राम सुन्दरपुरा तक सड़क निर्माण किये जाने तथा

(च) ग्राम वमारी में नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

(3) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य की राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम तांडीकला में नलजल योजना प्रारंभ किये जाने,

(ख) ग्राम बांकपुरा में नलजल योजना प्रारंभ किये जाने,

(ग) ग्राम प्रेमपुरा में नलजल योजना प्रारंभ किये जाने तथा

(घ) ग्राम रामगढ़ में नलजल योजना प्रारंभ किये जाने,

(4) चौधरी मेर सिंह, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम सिरस में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(ख) ग्राम चांद के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला का भवन निर्माण किये जाने तथा

(ग) ग्राम बोझावाड़ा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण किये जाने,

(5) श्री रमेश दिलीप भटेरे, सदस्य की बालाघाट जिले के -

(क) ग्राम पवनी एवं सनीटेकरा के बीच सोन नदी पर पुल निर्माण किये जाने तथा

(ख) लांजी स्थित प्राचीन किला एवं दादा कोटेश्वर मंदिर को पर्यटक स्थल घोषित किये जाने,

(6) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के -

(क) ग्राम विमलवानी के शासकीय महाविद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम निमोदा मठ के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ग) मेवरा के पास दर्रा नाले पर निर्मित पुल पर एप्रोच रोड रिटेनिंग वाल निर्माण किये जाने तथा

(घ) ग्राम गोहटा से गावड़ी तक सड़क निर्माण किये जाने,

(7) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की ग्वालियर नगर के -

(क) वार्ड क्रमांक 2 में भूतेश्वर मंदिर से हनुमानघाटी तक सड़क निर्माण किये जाने,

(ख) शब्द प्रताप आश्रम के कन्या हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(ग) शब्द आश्रम नंबर-2 की नई कालोनी से मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण किये जाने,

(घ) शब्द आश्रम नंबर-2 में गुरुप्यारी भवन के पास तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(ङ) वार्ड क्रमांक 17 में सैयद बाबा की दरगाह से चंदनपुरा तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(च) डॉ.भगवत सहाय शा.महाविद्यालय में विज्ञान के स्नातक,स्नातकोत्तर एवं वाणिज्यिक संकाय आरंभ किये जाने,

(छ) तानसेन रोड से रमटापुरा होते हुए लोहामण्डी तक सड़क निर्माण किये जाने तथा

(ज) वार्ड क्रमांक 14 लधेड़ी में नवीन नलकूप खनन किये जाने,

(8) श्री जुगुल किशोर, सदस्य की सतना जिले के -

(क) ग्राम वसुधा एवं उमरहट के पास नदी पर पुल निर्माण किये जाने तथा

(ख) खम्हरिया खुर्द, महकोना रोड, मटतैन, पोरहटी, बचवई, संगमा, सायडिंग, सगमनिया पोड़ी, मदनी, नयागांव, शिवसागर भैंसवार, कोठी, रैगांव में संचालित शासकीय महाविद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(9) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम सुरलाखापा में शासकीय भवन निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम शेजवाड़ा में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(10) कुं. विक्रम सिंह, सदस्य की छतरपुर जिले के ग्राम गिरधौरी के मंदिर का जीर्णोद्धार किये जाने एवं

(11) श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य की रायसेन जिले के ग्राम बरेली में सुखचैन नदी पर स्टाप डेम कम रपटा निर्माण किये जाने संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

10. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का प्रश्न सम्बन्धी वक्तव्य

श्री गौरीशंकर बिसेन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने दिनांक 8 मार्च, 2011 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 67 (क्रमांक 2955) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

सदन में कर संबंधी विधेयकों को प्रथमतः विचारार्थ लिया जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया कि वर्ष 2011-12 के स्वीकृत बजट प्रावधानों के अनुसार जिन विधेयकों से करों में बढ़ोत्तरी या कमी होना है, उन विधेयकों पर 31 मार्च, 2011 के पूर्व महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त करना है, ताकि नये वित्तीय वर्ष में दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से इनको लागू किया जा सके। अतः उपरोक्त विधेयक विचार हेतु पहले ले लिये जाएं ताकि समय पर औपचारिकता पूर्ण कराई जा सके।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 12 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. निशिथ पटेल

(2) श्री पारस सकलेचा

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ। खण्ड 19 में संशोधन :

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि खण्ड 19 के उप खण्ड (तीन) में मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण - जहां प्रस्तुत स्पष्टीकरण और साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि मध्यप्रदेश राज्य के भीतर माल के विक्रय की संभावना नहीं है या माल के संबंध में कर का अपवंचन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, तो यह समझा जायेगा कि उपधारा (2) के उपबंधों का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।
यथा संशोधित खण्ड 19 विधेयक का अंग बना।
खण्ड 2 से 18 एवं 20 से 23 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 12 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(2) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

(अपराह्न 12.57 से 2.37 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) पारित किया जाय।

(विपक्ष के सदस्यगण द्वारा मत विभाजन की मांग की गई)

ध्वनि मत से विधेयक पारित करने संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(श्री बालाराम बच्चन, सदस्य द्वारा ध्यानाकर्षित करने पर, अध्यक्ष महोदय द्वारा संसदीय कार्य मंत्री को मंत्रीगण की सदन में उपस्थिति के संबंध में निर्देशित किया गया।)

(3) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर विधेयक, 2011 (क्रमांक 13 सन् 2011) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(2) डॉ. निशिथ पटेल
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर विधेयक, 2011 (क्रमांक 13 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 1 सन् 2011) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष
(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री
(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(4) श्री नारायण प्रजापति
(5) श्री सुदर्शन गुप्ता
(6) श्री श्रीकांत दुबे

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 1 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

12. सम्पत्ति-विवरण का पटल पर रखा जाना

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री द्वारा अपनी तथा परिवार की सम्पत्ति का विवरण पटल पर रखा गया।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(5) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 2 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह
(2) श्री बालाराम बच्चन
(3) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 2 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(6) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 4 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री विश्वेश्वर भगत
(2) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सकलेचा

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(4) श्री पारस सकलेचा
(5) श्री राधेश्याम नानालाल पाटीदार
(6) श्री पुरूषोत्तम दांगी
(7) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी
(8) श्री मदन कुशवाह
(9) श्री रामलखन सिंह
(10) श्री रणजीत सिंह गुणवान

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 4 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(7) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 5 सन् 2011) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सुनील जायसवाल
(2) श्री केदारनाथ शुक्ल
(3) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सकलेचा
(4) श्री राधेश्याम नानालाल पाटीदार
(5) श्री रामलखन सिंह

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 5 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(8) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 6 सन् 2011) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री पारस सकलेचा
(3) श्री के.पी. सिंह

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 6 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

14. अध्यक्षीय घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि आज दिनांक 29 मार्च, 2011 को माननीय मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर, उनके निवास पर आयोजित भजन संध्या एवं भोज कार्यक्रम में आपकी सपरिवार उपस्थिति प्रार्थनीय है।

अपराह्न 4.59 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2011 (चैत्र 9, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 29 मार्च, 2011